

राजस्थान-सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6) अलेसे-1/ 20062 से 20075  
कार्यालय आदेश

दिनांक 26.8.2015

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कर्मियों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

| क्र० सं० | आदेश संख्या | दिनांक     | लिक नम्बर | नाम सलेअ ग्रेड-1 सर्वश्री | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय / विभाग  | स्थानान्तरित कार्यालय / विभाग  |
|----------|-------------|------------|-----------|---------------------------|--|--|
| 1        | 53/2015-16  | 30/06/2015 | 6197      | वेदप्रिय शर्मा            | निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ईएसआई) विभाग, जयपुर - 1180   | पिछडा वित्त एवं विकास आयोग, अन्य पिछडा वर्ग वित्तीय एवं विकास निगम (एक्स काडर), जयपुर - 1000340 (प्रतिनियुक्ति पर) |
| 2        | 63/2015-16  | 30/06/2015 | 2883      | गोपाललाल माली             | जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर , जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय(एक्स काडर), जयपुर - 1000361 | मुख्य निरीक्षक, फेक्ट्री एवं बायलर्स विभाग, जयपुर - 395  |
| 3        | 63/2015-16  | 30/06/2015 | 1520      | रामकिशोर झुंझिया (वि.)    | जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर , जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय(एक्स काडर), जयपुर - 1000361 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, सांगानेर, जयपुर - 1972   |


अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 31.08.2015 तक फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जावेगी।

  
(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6) अलेसे-1/ 20062 से 20075  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 26.8.15

- 1 संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 संबंधित कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त सलेअ-1 का माह सितम्बर, 2015 का वेतन भुगतान का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करें।
- 3 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि स्थानान्तरण लेखाकर्मियों को नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें अन्यथा स्थिति में अगस्त 2015 माह के वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 4 उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 6 श्री .....सलेअ-1 कार्यालय.....को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल पर इस विभाग को भिजवावें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जावेगी।
- 7 रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(के.एम.मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)